CMYK

Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

□ वर्ष- 27 □ अंक- 305 □ रायपुर, शुक्रवार 29 नवम्बर 2024 □ पृष्ठ-8 □ मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • बिलासपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

फेंगल चक्रवात का कहर, दक्षिण भारत में तेज हवाओं और भारी बारिश का अलर्ट

खाड़ी में तेजी से विकसित हो रहा

नई दिल्ली, 29 नवम्बर (न्यूज चैनल)। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि बंगाल की खाड़ी में तेजी से विकसित हो रहा फेंगल चक्रवात दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में भारी तबाही मचा सकता है।भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, फेंगल चक्रवात बंगाल की खाड़ी में तेजी से विकसित हो रहा है। इसके प्रभाव से तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। फेंगल चक्रवात के कारण दक्षिण भारत के कई तटीय क्षेत्रों में मौसम बिगड़ने की संभावना है।

तमिलनाडु के चेन्नई, चेंगलपट्ट, विल्लुपुरम, कुड्डालोर, मयिलाडुथुरै, तिरुवरुर, नागपट्टिनम, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम, अरियालूर और तंजावुर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। वहीं, पुडुचेरी में शुक्रवार और शनिवार को सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। दक्षिण आंध्र प्रदेश, यणम और रायलासीमा क्षेत्रों में भी भारी बारिश की संभावना है। जबकि 30 नवंबर और 1 दिसंबर को केरल, माहे और दक्षिणी कर्नाटक में भारी बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव उत्तर-उत्तरपूर्व की ओर बढ़ रहा है। शनिवार सुबह चक्रवात के कराईकल और महाबलीपुरम के बीच तट से टकराने की संभावना है। इस दौरान 45-55 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। हवा के झोंके 65 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन. रंगासामी ने चक्रवात और बारिश से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की है। राहत और बचाव कार्य के लिए विशेष टीमों को तैनात किया गया है। निचले और संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण किया गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें। घर के आसपास पानी की निकासी सुनिश्चित करें। आवश्यक वस्तुओं का भंडारण करें। प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।

महादेव सट्टा एप की जांच के दौरान कार्रवाई 19 स्थानों पर 200 एकड़ जमीन अटैच

रायपुर, 29 नवंबर (हाईवे चैनल)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छत्तीसगढ़ में महादेव ऑनलाइन सट्टा एप मामले के आरोपियों की करीब 500 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति अटैच कर उनकी पहचान भी कर ली है. ईडी ने राज्य शासन के राजस्व विभाग से इन अचल संपत्तियों की जानकारी मांगी थी. ईडी द्वारा पटवारी व तहसीलदार के माध्यम से अभनपुर व रायपुर तहसील के अंतर्गत इन अचल संपत्तियों के खसरों को चिन्हित कर कब्जे में लिया गया है और उनकी खरीदी-बिक्री पर रोक लगा दी गई है.

बताया गया है कि ईडी द्वारा रायपुर व अभनपुर तहसील के अंतर्गत 19 स्थानों पर लगभग दो सौ एकड़ जमीन अटैच की गई है. अभनपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम कोलर, खोरपा, सलोनी, छछानपैरी तथा रायपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम मुजगहन, टेमरी, छेरीखेड़ी, शंकरनगर तथा बोरियाखुर्द में अटैच की गई जमीनें स्थित हैं. गौरतलब है कि ईडी द्वारा महादेव सट्टा एप मामले में मनी लॉड्रिंग एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है. इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और उनकी अचल संपत्तियां अटैच की गई हैं. आरोप है कि ऑनलाइन बैटिंग एप के संचालन से प्रमोटर्स व ऑनलाइन बैटिंग एप से जुड़े पैनल ऑपरेटर्स चेकर्स व उनके साथियों द्वारा वर्ष 2020 में लॉकडाउन के बाद से ऑनलाइन सट्टा खिलाकर लगभग 500 करोड़ रुपए मासिक की अवैध आय अर्जित की जाती रही है.

यह भी आरोप है कि महादेव बुक एप के प्रमोटर्स द्वारा ऑनलाइन बैटिंग एप के इस आपराधिक कृत्य के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई को रोकने के लिए विभिन्न पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों तथा प्रभावशील राजनीतिक व्यक्तियों का संरक्षण प्राप्त किया गया. इसके एवज में उन्हें नियमित तौर पर प्रोटेक्शन मनी के रूप में भारी राशि दी गई. पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को अवैध प्रोटेक्शन मनी वितरण के लिए पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों का भी उपयोग किया गया. विभिन्न पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी व प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए प्रोटेक्शन मनी के रूप में अवैध आर्थिक लाभ प्राप्त करते हुए अवैध संपत्ति अर्जित की गई है. ईडी द्वारा कई अचल संपत्तियों का पहले प्रोवजनल अटैचमेंट किया गया था. उल्लेखनीय है कि ईडी के प्रतिवेदन के आधार पर ईओडब्ल्यू-एसीबी द्वारा भी महादेव सट्टा एप मामले में भी एफआईआर दर्ज कर 19 लोगों को आरोपी बनाया गया है.

ब्रेकिंग न्यूज

बारात जा रहे एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत

नई दिल्ली, 29 नवम्बर (न्यूज चैनल)। बिहार के अरवल जिले में एक शादी की खुशी उस समय मातम में बदल गई जब एक बड़े सड़क हादसे में परिवार के चार लोगों की जान चली गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा जिले के टाउन थाना क्षेत्र स्थित परसादी इंग्लिश गांव के पास हुआ। हादसे की जानकारी देते हुए टाउन थाना के एसएचओ अली साबरी ने बताया कि पीड़ित परिवार कलेर थाना क्षेत्र के कामता गांव का निवासी था। वे सभी महिंद्रा स्कॉर्पियो एसयूवी में सवार होकर पटना में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। एसएचओ अली साबरी के मुताबिक, यह हादसा तेज गति के कारण हुआ। स्कॉर्पियो वाहन एक छोटे स्पीड ब्रेकर से टकराई, जिससे चालक गाड़ी पर से नियंत्रण खो बैठा। इसके बाद एसयूवी सड़क से फिसलते हुए पास की सोन नहर में गिर गई। हादसे में एक ही परिवार के चार सदस्य अपनी जान गंवा बैठे। हालांकि, तीन अन्य घायलों को तुरंत इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है।

निचली अदालत न ले कोई एक्शन, लिफाफे में सीलबंद रखा जाए सर्वे रिपोर्ट

नई दिल्ली, 29 नवम्बर (न्यूज चैनल)। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया कि जब तक संभल मस्जिद की शाही ईदगाह कमेटी हाईकोर्ट नहीं जाती, तब तक मामले को आगे न बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एडवोकेट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अपने समक्ष लंबित रखा और मामले को 6 जनवरी, 2025 से शुरू होने वाले सप्ताह में सुनवाई के लिए पोस्ट किया। हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संभल में शांति और सद्भाव कायम रखा जाए. स्ट ने एक आदेश पारित कर मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने और ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने का निर्देश दिया है। स्ट ने एडवोकेट उन्होंने कहा कि कमिश्नर को अपनी रिपोर्ट सीलबंद कवर में दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वह मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रहा है।

चूहा- सुनती हो, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते।
चुहिया- हां जी, एक बार घी-रोटी खाने के बाद बासी कहां खिलाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने की अनवर ढेबर की जमानत रद्द

रायपुर, 29 नवंबर (हाईवे चैनल)। शराब घोटाला के मुख्य अभियुक्तों में शामिल अनवर ढेबर की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। बताया जा रहा है जिस मेडिकल ग्राउंड के आधार पर अनवर ढेबर को जमानत मिली थी, वही गलत साबित हो गई है। बता दें कि अनवर ढेबर ने जिस मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जमानत ली थी वह फर्जी साबित हो गई, अब राज्य सरकार अनवर ढेबर के खिलाफ फर्जी मेडिकल पेश करने के आरोप के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई कर सकती है।

मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जमानत ली थी वह फर्जी निकली

किडनी और गॉलब्लैडर स्टोन की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जुलाई में हाईकोर्ट ने अनवर ढेबर को अंतरिम जमानत दी थी। हालांकि अनवर ढेबर के इस मडिकल रिपोर्ट के चक्कर राजधानी के डीकेएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के एक गोस्ट्रो सर्जन की नौकरी चली गई। गलत मेडिकल रिपोर्ट बनाने के आरोप में सरकार ने डॉक्टर को बर्खास्त करने के साथ ही एफआईआर भी दर्ज करा दी थी। शराब घोटाला के आरोप में जेल में बंद ढेबर को 8 जून को ईलाज के लिए डीकेएस ले जाया गया था।

सूत्रों के अनुसार इसी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जुलाई में हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है।

भिलाई फ्लाईओवर में हादसा ट्रक के पीछे जा घुसी पिकअप

दुर्ग, 29 नवंबर (हाईवे चैनल)। आज २९ नवंबर शुक्रवार को सुबह नेशनल हाइवे सुपेला फ्लाईओवर पर नागपुर से आ रही पिकअप सामने से जा रहे भारी वाहन से भिड़ गई। हादसे में पिकअप पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक में फंसे पिकअप को प्लाईओवर से नीचे उतरवाकर साइड किया गया।

मिली जानकारी के मुताबिक हादसा सुपेला फ्लाईओवर पर चंद्रा-मौर्या टाकीज के पास यह हादसा हुआ है। नागपुर से संतरा व अनार लोड कर पिकअप क्रमांक एमएच ३० बीडी ५६२१ पावर हाउस फलमंडी जा रही थी। इस दौरान प्लाईओवर के ऊपर सामने से जा रही ट्रक क्रमांक एमएच १२ एनए1स १९७४ को पीछे से ठोकर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप ट्रक के पीछे फंस गई। पिकअप का हेल्पर साइड बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।

फर्जी महिला अधिवक्ता ने युवती से 25 हजार ऐंठे, एफआईआर दर्ज

बिलासपुर, 29 नवंबर (हाईवे चैनल)। हाईकोर्ट में केस जीतने का दावा कर एक फर्जी महिला अधिवक्ता ने युवती से 25 हजार रुपए ठग लिए। मामले में चकरभाठा पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बेलगहना चौकी क्षेत्र के ढोल महुआ की रहने वाली अंजू मानिकपुरी (26) का पड़ोसी लक्ष्मी वस्त्रकार के साथ जमीन विवाद चल रहा था। जुलाई 2024 में अंजू की सहेली भगवती निषाद बस से सफर कर रही थी, जहां उसकी मुलाकात प्रियंका चेलसे नामक महिला से हुई। प्रियंका ने खुद को हाईकोर्ट की अधिवक्ता बताते हुए दावा किया कि वह केस जीतवा सकती है।

भगवती ने अंजू के सिविल केस की जानकारी प्रियंका को दी। प्रियंका ने अगले ही दिन अंजू को बिलासपुर हाईकोर्ट बुलाया। अंजू अपनी सहेली भगवती के साथ पहुंची। जिला कोर्ट के पास प्रियंका से मुलाकात हुई, जहां प्रियंका ने केस की फाइल और ऋण पुस्तिका अंजू से ले ली। उसने 15 जुलाई को 50 हजार रुपए लेकर हाईकोर्ट आने को कहा। अंजू 15 जुलाई को अपने पिता और सहेली के साथ पहुंची और प्रियंका को 25 हजार रुपए दिए। इसके बाद प्रियंका का व्यवहार संदिग्ध लगा, जिससे अंजू को ठगी का शक हुआ। इस पर उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। चकरभाठा पुलिस ने अंजू की शिकायत पर प्रियंका चेलसे के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब प्रियंका की तलाश में जुटी है और घटना से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है।

अमित शाह के घर पर देर रात महायुति की बैठक के बाद महाराष्ट्र के सीएम पर कोई घोषणा नहीं हुई

नई दिल्ली, 29 नवम्बर (न्यूज चैनल)। देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे - महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? यह सवाल राजनीतिक पंडितों और महाराष्ट्र के मतदाताओं के दिमाग में तब से है जब से 23 नवंबर को राज्य के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं। महायुति गठबंधन जल्द ही महाराष्ट्र के कार्यवाहक सीएम शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के नाम की घोषणा कर सकता है।

बैठक का उद्देश्य यह तय करना था कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा - एक ऐसा पद जिसके लिए देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे चल रहे हैं। शिवसेना नेताओं की जोरदार मांगों के बावजूद कि शिंदे को शीर्ष पद पर एक और कार्यकाल मिलना चाहिए, उन्होंने बुधवार को यह स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने पीएम मोदी और शाह से कहा है कि वह इस पद के लिए भाजपा की पसंद का पालन करेंगे।

राज्य में सत्ता-साझाकरण समझौते पर चर्चा करने के लिए महायुति की बैठक से पहले, शिंदे ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। मुंबई से आए शिंदे सीधे शाह के कृष्ण मेनन मार्ग स्थित आवास पर पहुंचे, जहां भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा पहले से ही मौजूद थे। शिंदे के एक करीबी सहयोगी ने गुरुवार को कहा कि नई सरकार में उनके उपमुख्यमंत्री का पद स्वीकार करने की संभावना नहीं है। हालांकि, शिवसेना के विधायक और प्रवक्ता संजय शिरसाट ने कहा कि शिंदे कैबिनेट का हिस्सा होंगे।

ईपीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी

सेविंग स्कीम में सरकार करने जा रही बड़े बदलाव

नई दिल्ली, 29 नवम्बर (न्यूज चैनल)। कर्मचारी भविष्य निधि खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मोदी सरकार सेविंग स्कीम को बढ़ावा देने के लिए ईपीएफ खाताधारकों को अधिक योगदान करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है। श्रम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार पीएफ योगदान पर लागू वेतन सीमा को खत्म करने पर विचार कर रही है।

वर्तमान में, कर्मचारियों के मूल वेतन का 12 प्रतिशत हिस्सा ईपीएफ खाते में जमा होता है। वहीं, नियोक्ता द्वारा जमा किए गए कुल अंशदान में से 8.33 प्रतिशत कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है और 3.67 प्रतिशत भविष्य निधि खाते में। इस योजना का लाभ करीब 6.7 करोड़ भारतीय वेतनभोगियों को मिलता है। केंद्र सरकार पीएफ योगदान में बदलाव की योजना बना रही है। यदि यह बदलाव लागू होता है, तो कर्मचारियों को यह विकल्प दिया जा सकता है कि वे अपनी मासिक पेंशन बढ़ाने के लिए अधिक योगदान करें। इसका असर रिटायरमेंट के समय मिलने वाली एकमुश्त राशि पर हो सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से कर्मचारी की पसंद पर निर्भर होगा। सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन्स के महासचिव टीएन करुमलाईयन ने सुझाव दिया कि सरकार को मौजूदा 15,000 रुपये वेतन सीमा बढ़ाने पर विचार करना चाहिए।

अमलीडीह जमीन विवाद की जांच करेंगे संभाग आयुक्त महादेव कावरे, शासन को सौंपेंगे रिपोर्ट

रायपुर, 29 नवंबर (हाईवे चैनल)। राज्य सरकार ने रायपुर के अमलीडीह में कॉलेज के लिए आरक्षित 3.203 हेक्टेयर भूमि को निजी बिल्डर को आवंटित किए जाने के मामले की जांच कराने का निर्णय लिया है। इस जांच की जिम्मेदारी रायपुर संभाग के आयुक्त महादेव कावरे को सौंपी गई है। संभागायुक्त इस मामले में जल्द से जल्द जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेंगे। बताया जा रहा है कि विवादित सरकारी जमीन का बाजार मूल्य 235 करोड़ रुपये से अधिक है। इस मामले को लेकर विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि यह भूमि शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए आरक्षित थी, और यदि इसे निजी बिल्डर को दिया गया, तो क्षेत्र में इतनी बड़ी सरकारी जमीन का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।

गौरतलब है कि इस मामले ने राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ा दी हैं। अमलीडीह की इस भूमि के निजी बिल्डर को आवंटन को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। 25 नवंबर को मेयर इन काउंसिल की बैठक में भी इसका कड़ा विरोध किया गया था। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इस जमीन को शासकीय कॉलेज के लिए आरक्षित किया था, लेकिन भाजपा सरकार के दौरान इसे निजी बिल्डर को देने की तैयारी की गई, जिसका नागरिकों और विपक्ष ने विरोध किया। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा ने आरोप लगाया कि भाजपा ने सत्ता में आते ही इस सरकारी जमीन को निजी बिल्डर को बेच दिया।

CMYK